# रेलवे क्लैम्स ट्रिब्यूनल, भोपाल बेन्च

श्री अजय कुमार गर्ग, माननीय सदस्य (न्यायिक) रे.दा.अ./भोपाल

दावा आवेदन कमांक : OA-IIu/BPL/51/2020
दावा पंजीकरण तिथि : 24-02-2020
आदेशार्थ रखने की तिथि : 04th November, 2025
आदेश तिथि : 10th November, 2025

*अनिल परमार,*
पुत्र श्री अर्जुनसिंह परमार,
निवासी–ग्राम बमूलिया,
तहसील व जिला–सीहोर (म0प्र0) .....आवेदक

*विरूध्द*

भारत संघ,
द्वारा–महाप्रबंधक,
पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर (बिहार) .....रेस्पांडेन्ट

दावा राशि : Rs. 8,00,000/-

प्रतिनिधित्व : श्री अरूण सिंह राणा, आवेदक–अधिवक्ता,
श्री इन्द्रजीत सिंह राजपूत, रेस्पांडेन्ट–अधिवक्ता.

## :: नि र्ण य ::

**1.** आवेदक ने अपने स्वयं के अनपेक्षित घटना में घायल होने के फलस्वरूप रेलवे क्लैम्स ट्रिब्यूनल एक्ट, *1987* के सेक्शन–*16* के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति के रूप में निर्धारित राशि प्राप्त करने हेतु यह दावा प्रस्तुत किया गया है.

**2.** आवेदन एवं शपथपत्र के अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि 22 वर्षीय आवेदक ट्रेनों के हाउसकीपिंग का कार्य करने वाले कंपनी–सोनी मैनेजमेंट एंड एलाइंस सर्विसेज, नईदिल्ली के अधीन कार्यरत् था एवं कंपनी की ओर से दिनांक 18.06.2019 को शिप्रा एक्सप्रेस ट्रेन संख्या–22911 में इन्दौर से हावड़ा तक नियोजित किया गया था, जिसमें आवेदक के अलावा सतीष नागराज, राजकुमार, विनोद आदि भी कार्यरत् थे. यात्रा के दौरान दिनांक 19.06.2019 को रात्रि 09:30 बजे पंडित दीनदयाल उपाध्याय (मुगल सराय) स्टेशन के आगे पास होते समय ट्रेन की अत्याधिक भीड़ से किसी के लगे धक्के के कारण आवेदक असंतुलित होकर कोच के खुले गेट से बाहर गिर गया जिस पर सहकर्मियों द्वारा चैन खींचकर नीचे उतरे एवं संतोष नागराज तथा राजकुमार उसे समीपस्थ अस्पताल ले गये किन्तु बांये पैर के पंजा क्षतिग्रस्त होने एवं कंधे–कमर एवं सिर में आई चोटों की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने उसे बनारस के बीएचयू ट्रॉमा केयर सेंटर के लिए रैफर कर दिया गया परन्तु पैसों की कमी होने से कंपनी की ओर से आये कर्मचारी–अनुराग पाल की सलाह पर घर के पास देवास स्थित ईएसआई अस्पताल में भर्ती कराया गया किन्तु यहाँ पर पैर में गैंगरीन हो जाने व उपचार ठीक न होने को देखते हुए पिता

निरंतर.....2/पर

सहायक पंजीयक
रेल दावा अधिकरण
भोपाल पीठ, भोपाल

द्वारा दिनांक 22.06.2019 को इन्दौर के बॉम्बे अस्पताल में एडमिट करा दिया गया एवं यहाँ पर उपचार के दौरान क्षतिग्रस्त दाहिने पैर को घुटने के 4 इंच नीचे से काट दिया गया एवं बांये पैर के पंजे का भी ऑपरेशन कर अंगूठा एवं अन्य अंगुलियाँ काट दी गई. दाहिने पैर में पुनः पस हो जाने से पुनः ऑपरेशन किया गया. आवेदक दिनांक 25.07.2019 तक भर्ती रहा जिसमें आवेदक का करीबन 6 लाख खर्च हो गये एवं आवेदक स्थायी रूप से विकलांग हो गया है. अतः बोनाफाइड पैसेन्जर के साथ घटित होने वाली अनटूवर्ड इंसीडेन्ट में आवेदक स्वयं घायल होने से रेस्पांडेन्ट रेलवे से प्रतिपूर्ति के तौर पर प्रतिकर राशि प्राप्त करने के लिए यह दावा आवेदन पेश किया गया है.

**3.** रेस्पांडेन्ट रेलवे की ओर से जवाबदावे में एक ओर तो घटना आवेदक की स्वयं की लापरवाही से घटित होने एवं तत्समय उसके पास कोई यात्रा टिकट नहीं होने का आरोप लगाया है, वहीं डीआरएम जॉच रिपोर्ट में प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर अपने जवाबदावे में आगे यह भी कहा है कि घटना के समय आवेदक विवेचित यात्री गाड़ी में ओबीएचएस सुपरवाईजर के तौर पर तैनात था एवं वह चलती गाड़ी से डीडीयू के रेलवे गेट संख्या–83 मटकुटटा से पहले समय 21:58 बजे नीचे गिर गया था किन्तु वह चलती गाड़ी से कैसे गिरा था इस बारे में कोई ठोस गवाह अथवा साक्ष्य जाँचक्रम में सामने नहीं आया है तथा आवेदक ने घटना के सम्बन्ध में रेल प्रशासन को कोई सूचना नहीं दी है. अतः इसी आधार पर आवेदक का दावा आवेदन व्यय सहित निरस्त करने की प्रार्थना रेस्पांडेन्ट की ओर से की गई है.

**4.** पक्षकारों के अभिवचनों और प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर निम्नलिखित इश्यूज की रचना की गई :–

1) *Whether applicant proves that he was a bonafide passenger of the train in question when the alleged untoward incident occurred ?*

2) *Whether the applicant proves that the alleged untoward incident falls within the meaning of Sec. 123 (c) (2) read with Sec. 124 A of Railways Act, 1989 ?*

3) *Whether the applicant proves that he has suffered injuries as alleged ?*

4) *Whether the Respondent railway administration is protected U/Section 124 A of the Railways Act, 1989 and is not liable to pay any compensation to the applicant ?*

5) *Relief and cost ?*

**5.** आवेदक ने साक्षी के तौर पर स्वयं के शपथपत्र *(AW/1)* के साथ लिखित साक्ष्य के रूप में *A-1 to A-12* तक के दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं, वहीं रेस्पाडेन्ट रेलवे की ओर से लिखित साक्ष्य के तौर पर डीआरएम रिपोर्ट *(R-1)* को विस्तृत रूप से पेश किया गया है. साक्षी के तौर पर आवेदक का प्रति– परीक्षण कोर्ट के सम्मुख किया गया.

नरंतर........3/पर

रेल दावा अधिकरण प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि भोपाल पीठ, भोपाल

सहायक पंजीयक
रेल दावा अधिकरण
भोपाल पीठ, भोपाल

**6.** तदनुसार पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा पेश की गई सारगर्भित बहस को बड़े ध्यान से सुन कर और अभिवचनों का गंभीरतापूर्वक अवलोकन कर के, उक्त इश्यूज पर मेरा निष्कर्ष इस प्रकार है :–

:: निष्कर्ष ::

*इश्यूज क्रमांक–1 एवं 2 :*

**7.** विवरण में सुसंगता स्थापित करने हेतु इन दोनों इश्यूज पर एकसाथ विचार किया जा रहा है. रेस्पांडेन्ट की *रेल यात्री (मैनर ऑफ इनवेस्टिगेशन ऑफ अनटूवर्ड इन्सीडेन्ट), नियम 2003* के अधीन प्रस्तुत की गई वैधानिक तरीके से की गई जाँच रिपोर्ट जिसे संक्षिप्त मे डीआरएम रिपोर्ट *(R-1)* कहा गया है, में पाये गये निष्कर्ष के आधार पर रेस्पांडेन्ट ने आवेदक के घटना के समय आवेदक के विवेचित यात्री गाड़ी संख्या–22911 में इन्दौर से हावड़ा के लिए ओबीएचएस सुपरवाइजर के तौर पर तैनात होने को स्वीकार कर लिया है, अर्थात् बोनाफाइड पैसेन्जर के मुद्दे पर कोई विवाद नहीं रह जाता है.

**8.** रेस्पांडेन्ट ने विरोध इस बात पर व्यक्त किया है कि घटनास्थल पर आवेदक के चलती ट्रेन से गिरने का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य नहीं मिला है, जबकि बुनियादी दस्तावेजी साक्ष्य, यथा–जनरल डायरी (ए–1) के साथ–साथ बीएचयू अस्पताल, बनारस के ओपीडी स्लिप (ए–2) में साफ तौर पर " fall from running train on 19-06-2019" अंकित है जो यही साबित करता है कि आवेदक चलती ट्रेन से गिरा था एवं आवेदक ने भी कोर्ट के सम्मुख उपस्थित होकर सशपथ ही दोहराया है कि वह चलती ट्रेन से अचानक गिर गया था. चूँकि रेस्पांडेन्ट की ओर से विपरीत साक्ष्य से अपना यह तर्क साबित नहीं किया जा सका कि घटना अनटुवर्ड इंसीडेन्ट के बाहर घटित हुई है, इसलिए प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए एवं इस सम्बन्ध में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भारत संघ वि0 रीनादेवी प्रकरण *(civil appeal no. 4945 of 2018 decided on 9th May, 2018)* के पैरा क्रमांक–16.1 में यह साफ धारित कर दिया है कि *Section 124 and section 124 A provide that compensation is payable whether or not there has been wrongful act, neglect or fault on the part of the railway administraion in the case of an accident or in the case of an untoward incident, only exception are those provided under provision to section 124 A in Prabhakaran vijaya kumar it was held that section 124 A lays down strict liability or no fault liability in case of railway accidents. Where principle of strict liability applies, proof of negligence is not required.* अतः इसे ध्यान में रखते हुए मैं यही अवधारित करता हूँ कि आवेदक के साथ घटित घटना *रेलवे एक्ट, 1989 के सेक्शन–123 (C) (2)* के अधीन बोनाफाइड पैसेन्जर के तौर पर यात्रा करते समय अनटुवर्ड इंसीडेन्ट की परिस्थितियों में ही घटित हुई थी. तदनुसार इश्यूज क्रमांक–1 एवं 2 साबित होने से आवेदक के ही पक्ष में इनका विनिश्चय किया जाता है

*इश्यूज क्रमांक–3, 4 एवं 5 :*

**9.** विवरण में सुसंगता स्थापित करने हेतु इन तीनों इश्यूज पर एक साथ विचार किया जा रहा है. दस्तावेजी साक्ष्यों–ए–1 से लेकर 5 के अनुसार घायल आवेदक को पहले निकटस्थ बनारस के बीएचयू अस्पताल ले जाया गया एवं बॉम्बे अस्पताल, इन्दौर के डिस्चार्ज

*निरंतर.....4/पर*

सहायक पंजीयक
रेल दावा अधिकरण
भोपाल पीठ, भोपाल

टिकट के अनुसार आवेदक यहाँ पर दिनांक 22.06.2019 को भर्ती हुआ था. आवेदक ने दावा आवेदन में किये गये अपने अभिवचन को ही सशपथ दोहराया है कि पैसे की कमी को देखते हुए कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा उसे निवासस्थान–देवास में भर्ती होने का कहा था अतः वह देवास के ईएसई अस्पताल में भर्ती हो गया था किन्तु क्षतिग्रस्त पैर में गैंगरीन हो जाने एवं इलाज संतोषजनक न होने से पिता द्वारा उसे इन्दौर के बॉम्बे अस्पताल में भर्ती करा दिया था. यहाँ पर उसका दिनांक 23.06.2019 को ऑपरेशन कर क्षतिग्रस्त दाहिने पैर को घुटने के नीचे से काटा गया था तथा बांये पैर के क्षतिग्रस्त अंगूठे एवं दूसरी अंगुली का DEBRIDEMENT (क्षतशोधन) किया गया. प्रति–परीक्षण में देखने पर आवेदक का दाहिना पैर घुटने के 5 इंच नीचे से विच्छेदित होना पाया गया है. अतः दस्तावेजी साक्ष्यों के अनुसार आवेदक दाहिने घुटने से 5 इंच नीचे से विच्छेदित हुए दाहिने पैर की यह चोट *रेल दुर्घटना और अनपेक्षित घटना (प्रतिकर) नियम, 1990 संशोधित 1997 & 2016* के नियम–3 की *अनुसूची के भाग–III* की मद संख्या-20 के अधीन साबित होती है. आवेदक ने यह कथन किया है कि बांये पैर की सभी अंगुलियाँ भी उपचार के दौरान काट दी गई थी, किन्तु न तो प्रत्यक्ष देखे जाने पर एवं न ही दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार यह नहीं पाया गया है, केवल बांये पैर के अंगूठे एवं दूसरी अंगुली का DEBRIDEMENT (क्षतशोधन) किया गया है अतः यह चोट उक्त सूची के बाहर की चोटें हैं. अतः साबित हुई उक्त सूचीबध्द एवं सूची के बाहर चोटों के लिए आवेदक को निर्धारित प्रतिकर देने हेतु रेस्पांडेन्ट बाध्य है.

***10.*** माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को देखते हुए घायल आवेदक को दाहिने घुटने से 5 इंच नीचे से विच्छेदित हुए दाहिने पैर की चोट के लिए निर्धारित राशि रूपये ***4,00,000/-*** एवं अन्य सूची की बाहर की चोटों की पीड़ा को देखते हुए रूपये ***20,000/-*** कुल राशि रूपये ***4,20,000/-*** दिये जाना न्यायोचित समझा जाता है. इस राशि पर घटना दिनांक *19-06-2019* से वास्तविक भुगतान तिथि *(पीठ के दिनांक 12.03.2024 को दिये गये आदेश के अन्तर्गत आवेदक के साक्ष्य प्रस्तुत न करने एवं सुनवाई के दौरान अनुपस्थित रहने की अवधि यथा दिनांक 06.12.2022 से 17.05.2024 तक, दिनांक 24.09.2024 से दिनांक 27.11.2024 तक, दिनांक 20.01.2025 से दिनांक 05.05.2025 तक, दिनांक 19.06.2025 से दिनांक 19.08.2025 तक, दिनांक 11.09.2025 से दिनांक 07.10.2025 तक की अवधि को ब्याज हेतु गणित कुल अवधि में से घटाया जाएगा)* तक *09%* प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित गणित कुल राशि प्रतिकर के रूप में रेस्पांडेन्ट से प्राप्त करने का आवेदक हकदार है. तदनुसार इश्यूज का निर्धारण करते हुए निम्नलिखित आदेश जारी किये जाते हैं :–

:: आ दे श ::

***11.*** अतः दावा आवेदन स्वीकार किया जाता है और रेस्पांडेन्ट रेलवे प्रशासन को प्रतिकर राशि रूपये **4,20,000/- (राशि रूपये चार लाख बीस हजार केवल)** एवं इस राशि पर घटना दिनांक *19-06-2019* से वास्तविक भुगतान तिथि *(पीठ के दिनांक 12.03.2024 को दिये गये आदेश के अन्तर्गत आवेदक के साक्ष्य प्रस्तुत न करने एवं सुनवाई के दौरान अनुपस्थित रहने की*

निरंतर......5/पर

रेल दावा अधिकरण प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि भोपाल पीठ, भोपाल

सहायक पंजीयक
रेल दावा अधिकरण
भोपाल पीठ, भोपाल

अवधि यथा दिनांक 06.12.2022 से 17.05.2024 तक, दिनांक 24.09.2024 से दिनांक 27.11.2024 तक, दिनांक 20.01.2025 से दिनांक 05.05.2025 तक, दिनांक 19.06.2025 से दिनांक 19.08.2025 तक, दिनांक 11.09.2025 से दिनांक 07.10.2025 तक की अवधि को ब्याज हेतु गणित कुल अवधि में से घटाया जाएगा) तक 09% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित गणित कुल राशि भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है.

**12.** रेस्पांडेन्ट को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से एक माह के भीतर अपर पंजीयक/रेदाअ/भोपाल के सूटर्स खाते में मुआवजा राशि को जमा करेगा तथा अपर पंजीयक/रेल दावा अधिकरण आवेदक/कों/लाभार्थी/यों के बैंक डिटेल्स वेरिफाई करने के बाद दिये गये आदेश के अनुसार प्रतिकर राशि का भुगतान करेगा.

**13.** जहाँ तक अवार्ड की गई राशि के वितरण का सवाल है तो इस सम्बन्ध में माननीय दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा गीता देवी वि0 भारतसंघ में पारित निर्णय के पैरा–5 के अनुसरण में, वर्तमान मामले में ब्याज सहित प्रतिकर राशि का वितरण निम्न तालिका के अनुसार किया जाएगा :–

| Sl No | Name of the Applicant | Age in Years | Amount awarded (Rs.) |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1) | अनिल परमार | 27 | 4,20,000/- |

**14.** लाभार्थी को उक्त तालिका के कॉलम–4 की राशि में से 10% राशि एवं इस पर गणित आनुपातिक ब्याज को ECS/NEFT के द्वारा उसके संबंधित बचत बैंक खाते में तत्काल जारी कर दिया जाएगा एवं शेष 90% राशि एवं इस पर गणित आनुपातिक ब्याज को उसके निवास स्थान के निकट किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में उसके नाम से 05 वर्ष के लिए फिक्स्ड डिपाजिट किया जाएगा जिस पर अर्जित ब्याज का मासिक तौर पर भुगतान किया जाएगा.

**15.** अतः लाभार्थी को आदेश दिये जाते हैं कि वे अपने निवासस्थान के नजदीक स्थित किसी राष्ट्रीयकृत/शेड्यूल्ड बैंक के नवीनतम बचतखाते की जानकारी रेस्पांडेन्ट रेलवे के प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के साथ–साथ इस पीठ की रजिस्ट्री के अपर पंजीयक महोदय के पास भी अतिशीघ्र उपलब्ध कराएंगा. आवेदक/लाभार्थी अपने निवास के समीप स्थित बचत खाते का विवरण, जिस पर उचित पृष्ठांकन किया गया हो, अपनी पहचान के दस्तावेज के रूप में आधारकार्ड/पेनकार्ड अथवा अन्य कोई उचित पहचान का दस्तावेज तथा अपने नवीनतम पासपोर्ट आकार के 2 फोटोग्राफ्स एवं नमूने के हस्ताक्षर आदि रजिस्ट्री के पास जमा करेंगे, अपर पंजीयक उक्त का सत्यापन करने के बाद उक्त दावा राशि का दिये गये आदेशानुसार भुगतान करेगा

**16.** रेस्पांडेन्ट लाभार्थियों को संदेय राशि का भुगतान इस रजिस्ट्री के *Suitors Account No. 10064520760 IFSC Code : SBIN0005798 (State Bank of India, Shivaji Nagar Branch, BHOPAL (MP)* बैंक खाते में RTGS के द्वारा इस आदेश की सत्यापित प्रति प्राप्ति से एक माह के भीतर जमा करते हुए इसकी सूचना अपर पंजीयक को भी देगा.

**17.** लाभार्थी/आवेदक को संदेय दावा राशि की सुरक्षा हेतु रेस्पांडेन्ट/लाभार्थी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तुत किया गया खाता संयुक्त न होकर एकल ही होगा. (नैसर्गिक संरक्षक

शेष......6/पर

रेल दावा अधिकरण, प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि, भोपाल पीठ, भोपाल

सहायक पंजीयक
रेल दावा अधिकरण
भोपाल पीठ, भोपाल

के द्वारा संचालित किये जा रहे अवयस्क खातों को छोड़कर). उक्त एफडीआर की परिपक्वता पर ब्याज सहित परिपक्वता राशि को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम अर्थात् ECS के द्वारा लाभार्थी के बचत खाते में जमा किया जाएगा. इस पीठ के आदेशों के बिना एफडीआर पर न तो लोन दिया जाएगा एवं न ही इस पर अग्रिम स्वीकार किया जाएगा. इस एफडीआर को परिपक्वता से पूर्व भी भुनाया नहीं जा सकेगा. पीठ के दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इस आदेश की प्रति स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के नोडल अधिकारी/शाखा प्रबंधक को भी भेजी जाएगी.

**18.** तदनुसार इस मूल दावा आवेदन का निस्तारण किया जाता है.

**19.** पक्ष अपना-अपना वादव्यय वहन करेंगे.

**20.** इस आदेश की प्रति पक्षों को नियमानुसार प्रदान की जाएगी.

**21.** प्रकरण-फाइल रेकार्ड रूम को प्रेषित की जाए.

10/11/25

(अजय कुमार गर्ग)
सदस्य (न्यायिक)
रेल दावा अधिकरण, भोपाल

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 10th November, 2025 को उद्घोषित होकर हस्ताक्षरित किया गया.

10/11/25

(अजय कुमार गर्ग)
सदस्य (न्यायिक)
रेल दावा अधिकरण, भोपाल

रेल दावा अधिकरण
प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि
भोपाल पीठ, भोपाल

सहायक पंजीयक
रेल दावा अधिकरण
भोपाल पीठ, भोपाल